न्यायालय सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सक्षम गोयल, आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
88 / 2022	दावा 53, 188 RTA	26.05.2022	06.03.2024

1. सोनादेवी पत्नी सुखराम जाति जांगिड़ निवासी ग्रम बूंटिया तहसील व जिला चूरू

—वादी—

बनाम

1. घनश्याम पुत्र विमला पुत्री नथुराम जाति जांगिड़ निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
2. पुरनी पत्नी रामकुमार जाति जांगिड़ निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
3. मन्जूदेवी पत्नी बाबूलाल जाति जांगिड़ निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
4. शंकरलाल पुत्र नथुराम जाति जांगिड़ निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
5. शान्ति पत्नी हरलाल जाति जांगिड़ निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
7. मनीराम पुत्र रावतनाथ जाति जोगी निवासी बास सारायण तह. तारानगर जिला चूरू
8. मोहरसिह पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी बास सारायण तह. तारानगर जिला चूरू
9. सोहनलाल पुत्र भैराराम जाति ब्रहम्ण निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
10. रामअवतार पुत्र जगदीश जाति ब्रहम्ण निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
11. लालचन्द पुत्र रामकुमार जाति जांगिड़ निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू
12. गोपालचंद पुत्र रामकुमार जाति जांगिड़ निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू
13. इंदरा पुत्री रामकुमार जाति जांगिड़ निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादी
2. अधिवक्ता श्री सिकन्दरखान प्रतिवादी सं. 7 व 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:29 IST
Reason: SelfAttested

वादीनी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. पेश कर निवेदन किया कि वादिनी व प्रतिवादीगण सभी एक ही गांव के वासी हैं वादीनी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 20 तादादी 5.57 हैक्टेयर रोही गांव

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

बूंटिया तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है, प्रमाण स्वरूप नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 एवं भूमि नक्शा किस्तवार शामिल दावा पेश है। यह कि उपरोक्त मद सं. 1 में दिये गये विवरण कि कृषि भूमि वादीनी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं सह काश्तकारी की है जिसको सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से के अनुसार संयुक्त रूप से काश्त करते आये हैं और संयुक्त कब्जा है तथा कानून की भी यही स्थिति है कि जब तक सह हिस्सेदार एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि का पक्षकारों के बीच विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक सभी सह हिस्सेदारों का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है वादीनी एवं प्रतिवादीगण की इस संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ओर संयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है । यह कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण सभी के परिवार काफी समय से अलग–अलग रहते हैं ओर दोनों के ही परिवार काफी बढ गये हैं इसलिये वादगत कृषि भूमि को संयुक्त खातेदारी में रखने से अनेकों प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि काश्त के समय अच्छे व खराब पासे को लेकर मनमुटाव एवं विवाद रहता है प्राकृतिक उपज लेने में भी कठीनाई होती है इसलिये वादीनी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह अपने हिस्से की खातेदारी की कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अलग लगान कायम करवा लेवे। यह कि वादीनी शारिरिक रूप से कमजोर होने व बीमार रहने से अक्षम महीला है प्रतिवादीगण सभी बाहुबली एवं शारिरिक रूप से बलवान व्यक्ति है इसलिये वादीनी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर वादीनी को उसके हिस्से की खातेदारी की भूमि को काश्त करने एवं उपयोग व उपभोग करने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं ओर जबरदस्ती बेदखल करने की धमकियां देते हैं जबकि वादीनी को इस वादगत भूमि में अपने 799 / 5070 हिस्से की कृषि को काश्त करने एवं उपयोग व उपभोग रखने का सम्पूर्ण अधिकार है इसलिये प्रतिवादीगण सभी को जरिये डिक्री चिरस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाना आवश्यक है कि वोह वादीनी के हिस्से की 799 / 5070 हिस्सा भूमि को काश्त करने कब्जा व उपयोग व उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना करे ओर न अन्य किसी प्रकार की दखलंदाजी करे ओर न वादीनी को बेदखल करे। यह कि वादीनी ने प्रतिवादीगण को गांव में अनेकों बार कहा एवं कहलवाया कि वह वादगत कृषि भूमि का अपने अपने हिस्से के अनुसार कानून के अनुसार अलग विभाजन करवाकर अलग राजस्व रिकार्ड कायम करवा लेवे परन्तु प्रतिवादीगण ने वादीनी की बात की कोई प्रवाह नहीं की ओर आखिरकार दिनांक 06.05.2022 को बमुकाम गांव बूंटिया में धमकी दी की यदि इस प्रकार की चेष्टा की तो हाथ पैर तोड़ दूंगे ओर मानने से साथ इन्कार कर दिया यही इस दावे का कारण है ओर दावे का आधार वादीनी को वादगत कृषि भूमि के 799 / 5070 हिस्सा भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार होने से है। यह कि वादीनी का यह वाद मुख्य अनुतोष कृषि भूमि के विभाजन बाबत है इसलिये इस दावा में प्रतिवादीगण लैण्ड होल्डर होने से इस वाद में आवश्यक पक्षकार है इसलिये प्रतिवादी सं. 6 को बिना धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिये पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादगत कृषि भूमि एवं पक्षकारान का निवास स्थान अदालतवाला के अधिकारक्षेत्र में है ओर अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार [illegible] फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि द[illegible] बह[illegible] वादीनी खिलाफ प्रतिवादीगण निचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे[illegible]

(क) जरिये डिक्री वादगत कृषि भूमि [illegible] 20 तादादी 5.5770 हैक्टेयर रोही गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू में वादीनी के 799 / 50[illegible] हिस्सा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

विधिवत विभाजन किया जाकर अलग ही खाता कायम किया जाकर अलग ही लगान कायम किया जावे।

(ख) जरिये डिक्री चिरस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को वर्जित किया जावे कि वह वादीनी के 799/5070 हिस्सा खातेदारी की कृषि भूमि को वादीनी के कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी एवं रूकावत पैदा नहीं करे ओर न वादीनी की 799/5070 हिस्सा खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की कोई बाधा एवं किसी प्रकार की कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न होती हो।

(ग) खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो वादी के हितकर हो अथवा हो जावे वोह भी प्रदान करे । श्रीमानजी की बड़ी कृपा होगी।

वादीनी द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। वादीनी की ओर से अधिवक्ता शिवगौतम सोलंकी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से आज दिनांक 16.09.2022 को पेशी में ली जावे जिस पर एक पक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली को पेशी में ली जाकर दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली इन्तजार तलबी में लम्बित रही। दौराने कार्यवाही अधिवक्ता श्री सिकन्दर खान एडवोकेट ने मोहरसिह व मनीराम की तरफ से वकालतनामा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 प्रस्तुत किया गया एवं वादी की ओर आदेश 01 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । जिस उभय पक्ष के अधिवक्ता का पक्ष सुना गया जिस पर किसी को भी कोई आपत्ति नही होने से सहमति के आधार पर स्वीकार किया गये । मनीराम व मोहरसिह को प्रतिवादी सख्या 7 एवं 8 बनाये जाने का आदेश दिया गया तथा अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी भूमि विक्रय कर दी है इसलिये नवीनतम जमाबंदी अनुसार संशोधित टाईटल प्राप्त किया गया । प्रतिवादी संख्या 07 व 08 मोहरसिह व मनीराम द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 का 1/6 हिस्सा है जिसका अलग खाता कायम किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा भी जबाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुंत कर निवेदन किया है कि उक्त सम्पूर्ण भूमि में उसका 1/6 हिस्सा है जिसका अलग खाता कायम किया जाकर अलग लगान कायम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 को सम्मन तामील पूर्व में हो चुके परन्तु इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया । न्यायालय समय में बार–बार आवाजें लगाई गयी परन्तु उनको सम्यकरूप से सम्मन तामील हो जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर और बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवही की गई । प्रतिवादी संख्या 14 की तलबी नहीं हुई है जो बैंक पक्षकार है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी भूमि विक्रय कर दिये जाने से केता इस भूमि में पक्षकार बन गये है। प्रतिवादी [illegible] 5 व 9 से 13 पर एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:29 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभयपक्ष ने जाहिर किया कि वादीनी प्रस्तुत दावा मात्र कृषि भूमि के खाता विभाजन का है जिसमें प्रतिवादी सं. 7 व 8 की ओर से काउण्टर क्लेम पेश कर अपने अपने

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

खातेदारी हिस्से की भूमियों का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन चाहा है जिस पर वादी को कोई एतराज नहीं है। दावा वादी एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 को स्वीकार किये जाने से किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान नहीं होगा। अतः दावा वादी व काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 7 व 8 का स्वीकार किया जाकर दावा में प्रारम्भिक डिक्री फरमाई जावे।

दावा में प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा भूमि विक्रय करने एवं 3 से 5 व 9 से 13 पर एक पक्षीय कार्यवाही होने एवं प्रतिवादी सं. 7 व 8 की ओर वकील द्वारा कोई आपत्ति नहीं किये जाने से तनकियात कायम की जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिए पत्रावली सीधे साक्ष्यवादी में रखी गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि वह साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं करना चाहता है अतः साक्ष्यवादी बन्द की जाती है। वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि दावा में पेश दस्तावेजात को ही साक्ष्य माना जावे। साक्ष्य वादी प्रस्तुत नहीं करने से जिरह शून्य रही। तत्पश्चात् पत्रावली बहस में रखी गयी । वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 7 व 8 की बहस सुनी गयी । वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि पर कब्जा काश्त अनुसार, अपने हिस्से के अनुसार विभाजन चाहा गया है, जो डिक्री फरमाया जावे। जिस पर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के वकील द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया तथा वकील प्रतिवादी द्वारा भी जबाबदावा व काउण्टर क्लेम के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं. 7 व 8 के हिस्सा एवं मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार अलग खाता कायम किया जावे जिससे भविष्य में खातेदारों के मध्य कोई विवाद पैदा ना हो। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादी सं. 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

दावा वादी में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से यह जाहिर है कि वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि हैं। उक्त कृषि भूमियों का बाहमी मौखिक विभाजन हो गया था जिसके अनुसार सभी खातेदार अपने अपने हिस्से में आई भूमियों पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में से वादी द्वारा अपने हिस्सा 799/5070 का खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अलग खाता कायम कर अलग लगान कायम करने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा काउण्टर क्लेम में अपने हिस्सा 1/6 की कृषि भूमि का अलग खाता कायम कर अलग लगान कायम करने का निवेदन किया है। प्रतिवादी सं. 8 द्वारा काउण्टर क्लेम में अपने हिस्सा 1/6 की कृषि भूमि का अलग खाता कायम कर अलग लगान कायम करने का निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 व 9 से 13 पर एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका बाहमी विभाजन कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर [illegible] है तथा अपने अपने हिस्से में आई कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे [illegible]कार वादी की ओर से प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादी सं. 7 व 8 का [illegible]कार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित [illegible] दावा वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 व 8 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः दावा वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 व 8 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम बूंटिया के ख.नं. 20 तादादी 5.5770 हैक्टेयर में से वादी सोनादेवी का 799/5070 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 मनीराम का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 मोहरसिह का 1/6 हिस्सा का मौका पर कब्जा काश्त एवं रिकॉर्ड की स्थिति अनुसार माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मंदी के अनुसार रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार चूरू को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में से वादी सोनादेवी का 799/5070 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 मनीराम का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 मोहरसिह का 1/6 हिस्सा का मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार खाता विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर मय नक्शा दो प्रतियों में पेश करें, जिन खातेदारों का हिस्सा बैंक के रहन दर्ज है, वह यथावत रहन रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू कैम्प चूरू

इजलास : श्री उगमसिह राजपुरोहित आर0ए0एस0

1. सोनादेवी पत्नी सुखराम जाति जांगिड़ निवासी ग्रम बूंटिया तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. घनश्याम पुत्र विमला पुत्री नथुराम जाति जांगिड़ निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
2. पुरनी पत्नी रामकुमार जाति जांगिड़ निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
3. मन्जूदेवी पत्नी बाबूलाल जाति जांगिड़ निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
4. शंकरलाल पुत्र नथुराम जाति जांगिड़ निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
5. शान्ति पत्नी हरलाल जाति जांगिड़ निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
7. मनीराम पुत्र रावतनाथ जाति जोगी निवासी बास सारायण तह. तारानगर जिला चूरू
8. मोहरसिह पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी बास सारायण तह. तारानगर जिला चूरू
9. सोहनलाल पुत्र भैराराम जाति ब्रहम्ण निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
10. रामअवतार पुत्र जगदीश जाति ब्रहम्ण निवासी बूंटिया तह. व जिला चूरू
11. लालचन्द पुत्र रामकुमार जाति जांगिड़ निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू
12. गोपालचंद पुत्र रामकुमार जाति जांगिड़ निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू
13. इंदरा पुत्री रामकुमार जाति जांगिड़ निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

–प्रतिवादीगण–

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 88/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगोतम सौलंकी एडवोकेट मिनजानिब मुदईब पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 व 8 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि रोही ग्रम बूंटिया के ख.नं. 20 तादादी 5.5770 हैक्टेयर में से वादी सोनादेवी का 799/5070 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 मनीराम का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 मोहरसिह का 1/6 हिस्सा का मौका पर कब्जा काश्त एवं रिकॉर्ड की स्थिति अनुसार माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मंदी के अनुसार रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार चूरू को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में से वादी सोनादेवी का 799/5070 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 मनीराम का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 मोहरसिह का 1/6 हिस्सा का मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार खाता विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर मय नक्शा दो प्रतियों में पेश करें, जिन खातेदारों का हिस्सा बैंक के रहन दर्ज है, वह यथावत रहन रहेगा।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06 माह मार्च सन् 2024 को जारी की गई।

(सक्षम गोयल आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:29 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

सोना देवी पत्नी सुखाराम जाति जांगिड़ निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
–वादी–

बनाम

1. घनश्याम पुत्र बिमला पुत्री नथुराम जाति जांगिड़ निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. पुरनी पत्नी रामकुमार जाति जांगिड़ निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू राज.
3. मन्जू देवी पत्नी बाबूलाल जाति जांगिड़ निवासी गांव बूटिया तहसील व जिला चूरू राज.
4. शंकरलाल पुत्र नथुराम जाति जांगिड़ निवासी गांव बूटिया तहसील व जिला चूरू राज.
5. शान्ति पत्नी हरलाल जाति जांगिड़ निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू राज.
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
7. मनीराम पुत्र रावतनाथ जाति जोगी निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
8. मोहरसिंह पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी बास सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
9. सोहनलाल शर्मा पुत्र भैराराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू राज.
10. रामअवतार पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू राज.
11. लालचन्द पुत्र रामकुमार जाति जांगिड़ निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू राज.
12. गोपालचन्द पुत्र रामकुमार जाति जांगिड निवासी गांव बूंटिया तहसील व जिला चूरू राज.
13. इंदिरा पुत्री रामकुमार जाति जांगिड़ निवासी ग्राम बूंटिया तहसील व जिला चूरू राज.
14. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 88 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री सिकन्दरखान एडवोकेट प्रतिवादीगण प्रतिवादी 7, 8 संख्या मि... पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:29 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार, चूरू से ... ताव पर वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जा... अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 20 तादादी 5.5770 है रोही कस्बा चूरू तहसील चूरू की कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण 7 व 8 का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाते व लगान अलग–अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1.	सोनादेवी पत्नी सुखराम जाति जांगिड़ नि. बूंटिया खातेदार	20 मी.	0.8789	बरानी
		आनुपातिक रास्ता भूमि	0.0314मी	बारानी
		वास्तविक हि.	0.8475	बारानी
2.	मनीराम पुत्र रामनाथ जाति जोगी नि. सारायण तह. तारानगर 1/2 हि. मोहरसिंह पुत्र आदुराम 1/2 हि. जाति जाट नि. बास सारायण तह. तारानगर खातेदार	20 मी.	1.8590	बारानी
		आनुपातिक रास्ता भूमि	0.0663	बारानी
		वास्तविक हिस्सा	1.7927	बारानी
3.	श्रामावतार पुत्र जगदीश 1264/27378 हि. जाति ब्राह्मण नि. बूंटिया, सोहनलाल पुत्र भैराराम 1264/27378 हि. जाति ब्राह्मण नि. बूंटिया, इन्दिरा पुत्री रामकुमार गोपालचन्द लालचन्द पि. रामकुमार ब.हि.ब. 7842/27378 हि. शंकरलाल पुत्र नथूराम जाति जांगिड़ नि. बूंटिया 725/273780 हि. शान्ति हरलाल 10749/27378 हि. जाति जांगिड़ नि. बूंटिया खातेदार	20 मी.	2.7378	बारानी
		किता–1	2.7378	बरानी
4	रास्ता व पगडंडिया	20 मी.	0.1990	गैर मु. रास्ता

तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03 सितम्बर सन् 2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:18:29 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)